HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए जानलेवा हमला के मामले में एक अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए **आज दिनांक 25.04.2025** को **मा0 न्यायालय** द्वारा जानलेवा हमला करने वाले **एक अभियुक्त** को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 16.05.2020 को अभियुक्त **सतेंद्र सिंह पुत्र जयप्रकाश निवासी सपनावत थाना धौलाना (वर्तमान थाना कपूरपुर) जनपद हापुड़** द्वारा अपने गांव निवासी मोहित पुत्र राकेश सिंह को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना धौलाना पर **मु0अ0सं0 211/2020 धारा 307 भादवि** पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 14.08.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 25.05.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा **10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड** की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से **श्री गौरव नागर (डीजीसी)** व विवेचक **निरीक्षक श्री गोपाल शर्मा** एवं पैरोकार **है0का0 रघुवीर** व कोर्ट मोहर्रिर **है0का0 विपिन कुमार** का विशेष योगदान रहा।